फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	
	16/11/23	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 14/12/23 को पेश हो। By	
	14/12/23	प० वादी उप०। पत्रावली मांग आदेश अनुसार दिनांक 5/1/24 को पेश हो। sd	
	5/01/24	प० वादी उप० बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर रजि० नम्बर से कटकर हो एवं दाखिल दफ्तर हो। sd	

न्यायालय सहायक कलेक्टर
पीठासीन अधि...
...मा नं0:-422/62/08
सीताराम पुत्र बिरदाराम
जयपुर।
1. मोहन पुत्र ...
2. सुखदेव ...
3. नारायण ...
4. बरजे...
5. बो...

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:01:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूं, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:रतन कौर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–422/62/08

उनवान

सीताराम पुत्र बिरदाराम जाति मेघवंशी बलाई, निवासी ग्राम नौपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. मोहन पुत्र काना
2. सुखदेव पुत्र काना
3. नारायण पुत्र काना
4. बरजी देवी पत्नि काना
5. बोदू पुत्र बालू (नाम हजफ)

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम नौपुरा, तहसील चौमूं, जिला–जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 रा0 टि0 एक्ट

निर्णय

दिनांक :– **05.01.2024**

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 245/745, 465/749, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 488, 489, 490, 491, 551, 468 कुल किता 14 का कुल रकबा 5.40 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम नौपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित है। उक्त भूमि पर वादी उपयोग व उपभोग, काश्त कर अपना व अपने परिवार का जीवीकोपार्जन करता चला आ रहा हैं। उक्त खातेदारी भूमि पर वादी व वादी के पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है। उक्त वर्णित आराजीयात में खसरा नम्बर 245/745 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 468 रकबा 0.96 है0 भूमि का मौके पर एक ही चक के रुप में अवस्थित हैं तथा इन खसरा नम्बर के उत्तर में प्रतिवादीगण की काश्त भूमिया सींव जोड हैं। जो प्रतिवादीगण की भूमि के पृथक से स्वतंत्र खसरा नम्बर है ओर वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 245/745 के उत्तरी ओर अर्सा पूर्व से सीमा कायम की हुई हैं तथा वादी ने सक्षम अधिकारी तहसीलदार चौमूं से नपती करवा कर उत्तरी ओर सीमा पर पत्थरगढी करवा रखी हैं व पत्थर गडे हुए है तथा वादी व प्रतिवादीगण की भूमि अलग अलग मौके पर हैं। वादी [illegible] जाति का अनुसूचित जाति का सदस्य हैं। प्रतिवादी स्वर्ण जाति के सदस्य है। गांव में वादी एक ही परिवार होने के कारण कोई भी वादी की तरफ बोलने वाला नहीं है। प्रतिवादीगण की जाति के लोग गांव में बाहुल्या परिवार होने के कारण इनका दबदबा हैं। इस वजह से वादी पर सदा ही हावी बने रहते हैं ओर वादी को दबा कर रखते हैं तथा वादी की काश्त भूमि खसरा नम्बर 245/745

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kaur
Date: 2024.07.26 16:01:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि को प्रतिवादीगण जबरन हडपना चाहते है और मौके पर काश्त करने, उपयोग उपभोग करने में बाधा कारित करते रहे हैं। वादी की खातेदारी काश्त भूमि में वादी के द्वारा काश्त करने में व्यवधान डालने का प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 3 के पिता व प्रतिवादी संख्या 4 के पति स्व0 कानाराम ने पहले भी आवेदन रिकार्ड दुरुस्ती का न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश किया, जिसका मुकदमा 01/03 हैं। जिसका दोनो पक्षों को सुनने के बाद दिनांक 23.08.2007 को काना का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। उसके बाद काना अथवा उसके वारिसानों ने कोई अपीलेट कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई हैं। अब वादी अपनी काश्त भूमि खसरा नम्बर 245/745 व 468 पर तरबूजो की बुवाई करने हेतु भूमि तैयार करने वास्त दिनांक 25.02.2008 को ट्रेक्टर चलाकर प्लाउ काटने लगा तो प्रतिवादीगण ने आकर प्लाउ काटने के लिए प्रतिरोध किया, ओर ताकत के बल पर व लठ्ठ के बल पर प्लाउ नहीं काटने दिया। वादी संख्या में अकेला हैं व प्रतिवादीगण संख्या 1 अधिक हैं, वादी चुपचाप आ गया। इस कारण प्रतिवादीगण की धमकी व प्रतिरोध बाधा करने के कारण वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ हैं। प्रतिवादीगण ने अपनी बदनियती व बाहूबली के कारण वादी को आये दिन हैरान व परेशान करते हैं व काश्त करने में रुकावट करते हैं, तथा वादी की काश्त भूमि खसरा नम्बर 245/745 रकबा 0.08 हैक्टेयर को जबरन हडपने व अपनी भूमि में मिलाने पर आमादा हैं। जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार हांसिल नहीं हैं। आराजी खसरा नम्बर 245/745 रकबा 0.08 हैक्टेयर का वादी खातेदार काश्तकार काबिज हैं तथा मौके पर उत्तरी तरफ पत्थरगढी कर पत्थर गाड रखे हैं, व वादी निरन्तर काश्त करता व उपयोग उपभोग करता आ रहा हैं व लगान सरकार को अदा करता आ रहा हैं।

वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द फरमाया जावें कि प्रतिवादीगण वादी की आराजी भूमि विवादग्रस्त खसरा नम्बर 245/745 रकबा 0.08 हैक्टेयर वाके ग्राम नौपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर की भूमि में किसी भी प्रकार से उत्तरी तरफ से पत्थरगढी को नहीं उखाडें, ना ही सींव को तोड–फोड करें, ना ही वादी के काश्त करने, उपयोग उपभोग करने, फसल बुवाई–कटाई करने में किसी प्रकार की रुकावट करें, ना ही जबरन कब्जा करें, ना ही बेदखल करें, ना ही जबरन प्रवेश करें, ना ही फसल आदि का नुकासान करें, ना ही उक्त कार्यवाही स्वयं करें, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन से करवायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:01:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वाद पत्र को स्वीकार करते हुए एकबालिया जबाव पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा में निवेदन किया कि खसरा नम्बर 245/745 रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि हाल भू–प्रबंधक द्वारा गत नक्शा के मुकाबले कर रकबे का बना दिया गया। जिस पर प्रतिवादीगण की भूमि के दक्षिणी तरफ नक्शा में डोट–डोट चिन्हीत करके एक खसरा नम्बर 245/745 रकबा 0.08 हैक्टेयर बना कर वादी की खातेदारी में गलत रुप से जोड दिया गया। जो खसरा नम्बर 245/745 रकबा 0.08 है0 पर मौके पर कब्जा अधिकार प्रतिवादीगण का ही शुरु से गत नक्शा अनुसार चला आ रहा है। तथा आज भी प्रतिवादीगण ही मौके पर काबिज है। तथा प्रतिवादीगण की भूमि के दक्षिणी तरफ वादी की भूमि है। जो मौके पर अर्सेदराज से काबिज है। प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि खसरा नम्बर 245/745 रकबा 0.08 है0 बाबत् एक वाद उनवानी बोदू बनाम राज0 सरकार न्यायालय श्रीमान् के समक्ष घोषणा नक्शा दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर रखा हैं। भूमि खसरा नम्बर 245/745 रकबा 0.08 हैक्टेयर पर प्रतिवादीगण का शुरु से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसको हडप करने का कोई सवाल ही पैदा नही होता है। वादी ने मनगडत आधार पर वाद प्रस्तुत किया है जो खारिज किया जाना योग्य है।

हमने प्रकरण में उभयपक्षो की बहस सुनी तथा उपलब्ध दस्तावेजान का अवलोकन किया। वादी का वाद स्थाई निषाधाज्ञा का है। लेकिन वादी का विवादित भूमि में कब्जे काश्त ही नहीं है जिससे वादी को स्थाई निषेधाज्ञा में अनुतोष दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में वादी का वाद कब्जे के अभाव में खारिज किया जाने योग्य है अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0)चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:01:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –: रतन कौर (R.A.S.)

उनवान

सीताराम पुत्र बिरदाराम जाति मेघवंशी बलाई, निवासी ग्राम नौपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. मोहन पुत्र काना
2. सुखदेव पुत्र काना
3. नारायण पुत्र काना
4. बरजी देवी पत्नि काना
5. बोदू पुत्र बालू (नाम हजफ)

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम नौपुरा, तहसील चौमूं, जिला–जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषैधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 रा0 टि0 एक्ट

मुकदमा नं0:–422/62/08

निर्णय दिनांकः– 05.01.2024

वादी/प्रतिवादीगण के अधिवक्ता व वादी स्वयं की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22.01.2021 को पीठासीन अधिकारी रतन कौर (R.A.S.)के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है किः–

वाके ग्राम नौपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 245/745 रकबा 0.08 हैक्टेयर में वादी का वाद कब्जे के अभाव में खारिज किया जाने योग्य है अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है।

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 05.01.2024 को जारी किया गया ।

मोहर

Signature Not Verified

पीठासीन अधिकारी
सहा. कलेक्टर (फा0ट्रै0)चौमूँ

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:01:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिये स्टाम्प	2	1.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	2
2.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	1	2.अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.प्रदर्शो के लिये स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4.....रूपये पर प्लीडर कह फीस		4.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.कमिशनर की फीस	
6.कमिशनर की फीस		6.आदेशिका की तामिल	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड	3	जोड	2

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:01:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner